

न्यायालय उपखण्ड आधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं० :- 55/2020
दायर दिनांक :- 13.02.2020

अनवान

श्री मांगीलाल पिता देबीलाल मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्रीमति हीरा पत्नि बाबूलाल मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
2. श्री धर्मराज पिता लादु मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
3. श्री राजसिंह पिता केसरा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
4. श्री कमलसिंह पिता बालूराम मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
5. श्री दुर्गा पिता देवराम मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
6. श्री मांगीलाल पिता हरजी मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
7. श्री छगन पिता सावला राम मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
8. श्री सोराज पिता हरनाथ मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
9. श्री अर्जन पिता भूरा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
10. श्री नारायण पिता हरदेव मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
11. श्री रामगोपाल पिता केसरा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
12. श्री रामकुवार पिता छोटु मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
13. श्री रूपलाल पिता उदा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
14. श्री गुलाब पिता धन्ना मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर
15. श्री रामनाथ पिता कालू मीणा नि. पांचा का बाडा तह० जहाजपुर
16. श्री रामदयाल पिता गुलाब रेगर नि. बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 04.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बिन्ध्याभाटा प० ह० बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 3092, 3093, 3851, 3852, 3855, 3879 कुल किता 6 रकबा 11.02 बीघा तथा ग्राम बोराणी प. ह. बिन्ध्याभाटा की आ.न. 1568, 1606, 1607, 1613 कुल किता 4 रकबा 8.00 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तार्ईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बिन्ध्याभाटा प० ह० बिन्ध्याभाटा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 3092, 3093, 3851, 3852, 3855, 3879 कुल किता 6 रकबा 11.02 बीघा तथा ग्राम बोराणी प. ह. बिन्ध्याभाटा की आ.न. 1568, 1606, 1607, 1613 कुल किता 4 रकबा 8.00 बीघाकी बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1600 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)